फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री जगदीश **विपक्षी :– श्री रूपलाल**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 9 जा.दी. **पत्रावली संख्या : 16/24**

जीसीएमएस : 2024/75

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.11.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 1/1 से 3 के नोटिस अखबार में छाया करा अखबार की प्रति पत्रावली में पेश की गई। विपक्षी सं. 1/1 से 3 को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित हैं। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. मय धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मूल वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अध्ययन किया। मूल पत्रावली सं. 182/14 वाद जगदीश बनाम रूपलाल का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 31.03.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. मय धारा 5 के प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी को अधिवक्ता द्वारा पेशी पर न्यायालय में हाजिर होने की सूचना नहीं दी जिस कारण प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकने एवं ना ही अधिवक्ता स्वयं पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकने का कथन करते हुए धारा 5 अवधि अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी ने जानबुझकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का पेश करने में देरी नहीं की हैं। प्रार्थी के जानकारी में आते ही दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर वाद की नकले प्राप्त कर अन्दर मयाद प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया हैं। जहॉ तक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. के प्रस्तुति में हुए विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में वाद में नियुक्त वादी के अधिवक्ता द्वारा वादी को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया जिसके कारण प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा अधिवक्ता वादी स्वयं भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। जिसके कारण वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की सूचना भी अधिवक्ता द्वारा वादी को नहीं दी गई। इस कारण से प्रार्थी का यह कथन माने जाने योग्य है कि प्रार्थी को वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की सूचना नहीं थी। प्रार्थी को सूचना होते ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. के प्रस्तुती में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2024.12.18 16:52:33 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद सं. 182/14 वाद अनवान जगदीश बनाम रूपलाल दिनांक 31.03.2022 को वादी मय अधिवक्ता वादी दोनो अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण दिनांक 31.03.2022 को वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा मूल वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत् प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में घोषणा चाही गई हैं। चूंकि वादी का वाद कृषि भूमि में घोषणा का होकर अपने हक अधिकारों के सम्बन्ध में पेश किया हैं। जिसके कारण मूल वाद को तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत लेकर गुणागुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। जिससे वादग्रस्त भूमि में हक अधिकार तय हो सके। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में माकुल कारण बताया जिससे यह न्यायालय संतुष्ट हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का 500/— पांच सौ रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 182/14 वाद जगदीश बनाम रूपलाल में आदेश दिनांक 31.03.2022 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में वादी उक्त कोस्ट की राशि राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। उभय पक्षकारान मूल वाद की पेशी दिनांक 10.02.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित रहे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:52:33 IST
Reason: SelfAttested